

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

टांडा विस्तार टी.पी.एस. (2x660 मेगावाट) के लिए ए.टी.एस. से संबद्ध पारेषण प्रणाली के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन एवं रखरखाव (बूम) आधार पर पारेषण सेवा प्रदाता के चयन हेतु अर्हता के लिए ग्लोबल इन्वीटेशन आमंत्रित करता है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से जेनरेटिंग स्टेशनों से बिजली प्राप्त करने तथा पूलिंग स्टेशनों से तथा अन्य ग्रिड स्टेशनों के लिए लोड सेंटर्स तक बिजली के पारेषण और भारत में सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के विकास की योजना शुरू की है। ये परियोजनाएं टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया आधार पर चुने गए विकासकर्ता को प्रदान की जायेगी।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन एवं रखरखाव (बूम) आधार पर टांडा विस्तार टी.पी.एस. (2x660 मेगावाट) के लिए ए.टी.एस से संबद्ध पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) और प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के दो चरण प्रक्रिया आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

इच्छुक निविदादाता अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) अधिसूचना और आरएफक्यू दस्तावेजों को देख सकते हैं जो वेबसाइट www.pfcclindia.com पर 11.09.2013 से उपलब्ध होंगे।

निविदादाता आरएफक्यू दस्तावेज पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में

अ-प्रतिदेय शुल्क रु. 1,00,000/- अथवा युएसडी 2,000 के भुगतान पर 11.09.2013 से 10.10.2013 तक सभी कार्यदिवस में 10:30 बजे (आईएसटी) से 16:00 बजे (आईएसटी) के बीच **उपाध्यक्ष**, प्रथम तल, उर्जा निधि, 1, बाराखम्मा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन: 91-11-23456132 फैक्स 91-11-23456170 ईमेल ttcl.itp@gmail.com से प्राप्त कर सकते हैं। आरएफक्यू दस्तावेज वेबसाइट www.pfcclindia.com से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। यद्यपि, ऐसे मामले में इच्छुक पार्टियां केवल आरएफक्यू के प्रतिउत्तर के साथ अलग से अ-प्रतिदेय शुल्क रु. 1,00,000/- अथवा यूएसडी 2,000 के भुगतान पर आरएफक्यू के प्रतिउत्तर जमा कर सकती है।

निविदादाताओं के लिए कोई भी स्पष्टीकरण मांग की अंतिम तिथि 10.10.2013 है और आरएफक्यू जमा करने की अंतिम तिथि 25.10.2013 को 14:30 बजे (आईएसटी) तक अथवा उससे पूर्व है। आरएफक्यू के प्रतिउत्तर उसी दिन 15:00 बजे (आईएसटी) खोले जायेंगे।

निविदादाता किसी प्रकार के अद्यतन स्पष्टीकरण/संशोधन/समयसीमा में विस्तार आदि, यदि हो, के संबंध में नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

परियोजना: परियोजना का निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन एवं रखरखाव (बूम) आधार पर टांडा विस्तार टी.पी.एस. (2x660 मेगावाट) के लिए ए.टी.एस से संबद्ध पारेषण प्रणाली स्थापित करना शामिल है।

टिप्पणी: पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड बिना किसी दायित्व और बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया को निरस्त अथवा संशोधित करने का अधिकार रखता है। यह कोई प्रस्ताव नहीं है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी-भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल "ऊर्जा निधि", 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत

नोडल प्रक्रिया समन्वयक



(पीएफसी लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
(भारत सरकार का उपक्रम)

एक पहल



विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार

पहल साझेदार



केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण